

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक- 12-7-16


संख्या-14/प्रो० 102/2014 सा०प्र०- 9626 / बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400- 67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/-), के पदाधिकारी श्रीमती रीता कुमारी, कोटि क्रमांक-257/11, आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को विभागीय परिपत्र सं०-4800 दिनांक-1.04.2016 के आलोक में दिनांक-28.05.2014 से वैचारिक रूप से एवं दिनांक-29.05.2014 के प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित अपर सचिव/ समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,900/-) में औपबंधिक प्रोन्नति दी जाती है ।

2. उक्त प्रोन्नति में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव ।

ज्ञापांक 14/प्रो० 102/14 सा०प्र०- 9626 / पटना-15, दिनांक- 12-7-16
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती रीता कुमारी, आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सी०डी० तैयार कर वित्त विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के अवर सचिव ।